कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लोक निर्माण विभाग, चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

E-mail - eecdpwd_uki@rediffmail.com **Phone/Fax No. . 01371.237084**

पत्रांक 726 / 3L-17 दिनांक 13 / 06 / 2019

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी
उत्तरकाशी वन प्रभाग
उत्तरकाशी।

विशय- **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विधान सभा क्षेत्र यमुनोत्री में मरगांव–जसपुर–चमियारी से उलण मोटर मार्ग का नव निर्माण हेतु 9.00 किमी0 लम्बाई हेतु 4.879 हे0 वन भूमि के हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति प्रदान के सम्बन्ध में (ऑनलाइन प्रपोजल नं0 FP/UK/ROAD/20224/2016**

सन्दर्भः– भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र), सुभाष रोड देहरादून के पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 03 / 2017 / एफ0सी0 / 2150 दिनांक 12.03.2018।

महोदय,

उपरोक्त विशयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिससे भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा विषयगत वनभूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी है। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति पत्र में उल्लिखित शर्तों की अनुपालन आख्या निम्नानुसार प्रेषित की जा रही हैः–

क्र0 सं0	शर्तों / प्रतिबन्धों का विवरण	अनुपालन आख्या
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.758 है0 ग्राम इन्द्रा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथा संशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है, अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 9.758 है0 सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु रू0 2719213.00 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है व विषयगत मार्ग हेतु ली गयी 4. 879 है0 वनभूमि के सापेक्ष दोगुने क्षेत्रफल 9.758 है0 हेतु चयनित स्थल ग्राम इन्द्रा तहसील चिन्यालीसौड़ खसरा संख्या 1727, 1749 व 1750 रकवा क्रमशः 0.989, 4.127 व 4.642 है0 में से 9.758 है0 सिविल सोयम भूमि वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम अमलदरामद कर दिया गया है।
2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3 / 2007 एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा रू0 4122755.00 एन0पी0वी0 की धनराशि वन विभाग के पक्ष में जमा कर दी गयी है। (संलग्नक 1.3)
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर मे अगर बढोत्तरी होती है। तो बढी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है। कि यदि भविष्य में माननीय उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन0पी0वी0 की वर्तमान दरों मे कोई धनराशि का भुगतान प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा वन विभाग के पक्ष मे कर दिया जायेगा, प्रमाण पत्र पूर्व मे ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाईन कर दिया गया हैं। सुलभ सन्दर्भ हेतु छाया प्रति संलग्न है (सलग्नक 4)
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करे कि जमा की गयी सभी निधिया (CA cast. NPV etc.) को वैब पोर्टल पर online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक मे जमा किए जाए अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशी सैद्धान्तिक स्वीकृति के अनुपालना के रूप मे मान्य नही होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा देय धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा दिये गये डिमाण्ड नोट के आधार पर NEFT/RTGS के माध्यम से Corporation Bank,Lodhi complex Branch, block 11 CGO complex, Phase-1 Lodhi road New Delhi 11003 के अन्तर्गत UTTARANCHAL, CAMPA के खाता संख्या – 150896120179545 मे रू0 6841968.00 जमा कर दी गयी है (संलग्नक 1,3)

5	सडक निर्माण के पश्चात जहां–जहां सम्भव हो सडक के दोनो किनारों तथा central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	इस शर्त के अनुपालन में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र दिया गया है, कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के आस–पास रिक्त पडे स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख रेख में की जायेगी। इस प्रमाण पत्र पूर्व मे ही प्रस्ताव के साथ ऑनलाइन कर दिया गया है। सुलभ सन्दर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है।(संलग्नक 5)

अतः अनुरोध है कि विशयगत प्रकरण पर वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति/वनभूमि प्रत्यावर्तन के औपचारिक शासनादेश निर्गत करवाने हेतु अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार 01 से 05 ।

भवदीय

इं0–सुरेश कुमार तोमर
अधिशासी अभियन्ता
निमार्ण खण्ड, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।

No 1326/3L-A

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षक इन्दिरा नगर, फॉरिस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून ।
2. सहायक अभियन्ता, तृतीय निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी ।
3.

इं0–सुरेश कुमार तोमर
अधिशासी अभियन्ता
निमार्ण खण्ड, लो0नि0वि0
उत्तरकाशी।